



2026:AHC:33216

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 11891/2024

राम बहोर

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अनिल कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की दलीलें सुनी गई।
2. चूंकि दोनों पक्षों ने प्रति-शपथ-पत्र और प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर-शपथ-पत्रों दाखिल कर दिए हैं और वे आगे कोई और शपथ-पत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका पर दाखिले के चरण पर ही निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह वर्ष 1981 से एक माली के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था, तथापि उसे नियमितीकरण के लिए विचारित नहीं किया गया। अतः, रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 22522/1995 दायर की, जिसका निस्तारण दिनांक 29.04.1999 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें प्रत्यर्थियों को रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका संख्या 336/2000 से चुनौती का विषय था, जिसे 31.01.2000 को इस शर्त के साथ खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष एक अंतर-न्यायालय अपील दायर करने की स्वतंत्रता होगी। इसके बाद, प्रत्यर्थियों द्वारा एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की गई, जिसका क्रमांक विशेष अपील संख्या 217/2000 था; परंतु 02.04.2003 को विलंब के आधार पर इस अपील को खारिज कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 26.06.2021 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित कर दिया गया। चूंकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वह उस तारीख से लाभों का हकदार था जब उसे पहली बार दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी 1981 से; जबकि ये लाभ नियमितीकरण की तारीख, यानी 02.09.2003 से दिए जा रहे हैं। अतः रिट याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रिट ए संख्या 17061/2010 (राम बहोर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर की, जिसमें दिनांक 09.12.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

“1. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतें प्राप्त करने के लिए दायर की गई है:-

- i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके वेतन का बकाया भुगतान करें—यह मानते हुए कि उनकी नियुक्ति क्रमशः वर्ष 1981 और 1990 में हुई थी, जिसे तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 6वें वेतन आयोग के आधार पर उनके वेतन को पुनः निर्धारित करने के बाद अनुमोदित किया गया था; और साथ ही, वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2003 तक की अवधि के वेतन का बकाया भी 6वें वेतन आयोग के आधार पर उनके वेतन को पुनः निर्धारित करने के बाद भुगतान करें;

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) कोई अन्य और अतिरिक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को क्रमशः वर्ष 1981 और 1990 में दैनिक वेतन पर चौकीदार (कक्षा IV पद) के रूप में नियुक्त किया गया था। उसकी सेवाएँ वर्ष 1995 में मौखिक रूप से समाप्त कर दी गईं। सेवा-समाप्ति के उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 22522/1995 दायर की, जिसका अंतिम निस्तारण दिनांक 29.4.1999 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ किया गया कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित करें। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने अपने नियमितीकरण तथा बकाया वेतन के भुगतान के लिए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थियों ने दिनांक 29.4.1999 के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 336/2000 दायर की थी, जिसे दिनांक 31.1.2000 के आदेश द्वारा वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, कहा गया है कि प्रत्यर्थियों ने 29.4.1999 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक विशेष अपील दायर की थी, जिसे 2.4.2003 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, 2.9.2003 को प्रत्यर्थियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का आदेश पारित किया गया। सेवाओं के नियमितीकरण के उपरांत, याचिकाकर्ताओं ने 1981 से 1990 तक का वेतन और वरिष्ठता मांगी। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 दिनांक 30.4.2017 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और याचिकाकर्ता संख्या 2 की मृत्यु इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हो गई है। अतः यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि नियमितीकरण के समय, यानी 2.9.2003 को, उन्होंने क्रमशः 22 और 13 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी; अतः उनकी वरिष्ठता उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से, यानी क्रमशः 1981 और 1990 से, गिनी जानी चाहिए। उन्होंने अपनी नियुक्ति की उपरोक्त संबंधित तारीखों से वेतन के बकाया शेष राशि की भी मांग की। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थियों की निष्क्रियता के कारण, याचिकाकर्ताओं को अपनी किसी गलती के बिना बार-बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया, जैसे: रिट याचिका संख्या 11630/2018 (डॉ. रमाकांत तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), जिसका निर्णय 14.05.2018 को हुआ; रिट 'ए' संख्या 18117/2018 (मुनेश्वर दत्त मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य), जिसका निर्णय 6.9.2018 को हुआ; 2019(12) एडीजे, 547 (गुलाइची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य); सिविल अपील संख्या (5) 10806/2017 (हबीब खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), जिसका निर्णय 23.08.2017 को हुआ; और सिविल अपील संख्या 3348/2015 (सचिव, लघु सिंचाई विभाग एवं आरईएस बनाम नरेंद्र कुमार त्रिपाठी), जिसका निर्णय 7.4.2015 को हुआ।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ 2.9.2003 से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित कर दी गईं और उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन दिया गया; इसके बाद उन्हें संशोधित वेतनमानों का भुगतान भी किया गया, और साथ ही क्रमशः 48,650/- रुपये और 49,033/- रुपये के बकाया का भुगतान भी किया गया, जिसके संबंध में, राज्य द्वारा संलग्नक सीए-6 और 7 प्रस्तुत किए गए हैं, जो बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 13.01.2009 को जारी पत्र के माध्यम से किए गए बकाया भुगतान से संबंधित हैं।

5. याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय से, जब वे दैनिक वेतनभोगी थे—अर्थात् क्रमशः वर्ष 1981 और 1990 से—भुगतान प्राप्त करने के हकदार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हैं; और तत्पश्चात्, वे वर्ष 1981 और 1990 से नियमित वेतनमान प्राप्त करने के भी हकदार हैं।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को 2.9.2003 को नियमित किया गया था; तब से उन्हें एक नियमित कर्मचारी के लिए अनुमत नियमित वेतनमान प्राप्त हो रहे हैं, और साथ ही उन्हें अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से बकाया राशि भी प्राप्त हो चुकी है। अपने दावे के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने ऊपर के पैराग्राफ में बताए गए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है, और यह भी तर्क दिया है कि उनका मामला इस न्यायालय द्वारा रिट ए संख्या 25623/2018, नवल किशोर राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (30.09.2020 को निर्णित) में दिए गए निर्णय के अंतर्गत पूरी तरह से आता है; जिसमें इस न्यायालय ने प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (02.09.2019 को निर्णित) के निर्णय पर भरोसा करते हुए, रिट याचिका को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया था:-

“याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की प्रार्थना की है:-

“(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 06.02.2018 के अभ्यावेदन (रिट याचिका का अनुलग्नक-1) पर विचार करें और उसका निर्णय करें, तथा हबीब खान बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा कार्य प्रभार आधार पर अर्थात् 01.04.1978 से की गई सेवा की गणना करते हुए, उसके समस्त सेवानिवृत्ति बकाए का भुगतान करें, जिसमें उसकी पेंशन और अन्य आनुषंगिक लाभ भी शामिल हैं।”

याचिका में किए गए कथनों के अनुसार, याचिकाकर्ता को शुरू में 01.04.1978 को वाराणसी के पिंछाई विभाग में कार्य प्रभार आधार पर सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाओं को 01.05.2006 से नियमित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता 01.06.2018 को सेवानिवृत्त हो गया है। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है, और उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने ऊपर उल्लिखित राहत की प्रार्थना की है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने एक प्रति शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 01.04.1978 से 30.04.2006 तक कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में और उसके बाद 01.05.2006 से 31.01.2018 तक नियमित विभाग में कार्य किया था। याचिकाकर्ता 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन 01.08.2005 के पत्र के आलोक में, जिसमें यह उल्लेख है कि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में की गई सेवाओं को पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रयोजनों हेतु शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा कि सिविल सेवा विनियमन 370 में वर्णित है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में, जिसका निर्णय 02.09.2019 को दिया गया था, यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी कर्मचारी द्वारा की गई कार्य प्रभारित अवधि को पेंशन के प्रयोजनों के लिए शामिल किया जाएगा; और इसलिए, जिस आधार पर याचिकाकर्ता की पेंशन अस्वीकृत की गई है, वह आधार विधिमान्य नहीं है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विद्वान् स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि दिनांक 01.08.2005 के पत्र में यह प्रावधान है कि कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में बिताई गई अवधि को सेवा के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा; अतः, याचिकाकर्ता इसके लिए हकदार नहीं है।

मैंने पक्षों के विरोधी तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

प्रत्यर्थियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को शुरू में 01.04.1978 को एक सहायक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने 03.04.2006 तक कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में कार्य करना जारी रखा। याचिकाकर्ता की सेवाएँ 01.05.2006 को नियमित की गईं और वह 01.06.2018 को सेवानिवृत्त हुआ।

उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता 01.04.1978 से कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, प्रेम सिंह (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू होता है, और वर्तमान मामले में विवाद प्रेम सिंह (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा समाप्त हो जाता है। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जाना चाहिए।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी संख्या 4—कार्यकारी अभियंता, नलकूप निमोण प्रभाग, सिंचाई विभाग, वाराणसी को एक परमादेश जारी किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा नियमित कर्मचारी के रूप में दी गई सेवाओं में, कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा को भी जोड़ें, और याचिकाकर्ता को वह पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया राशि का भुगतान करें, जिसका वह कानूनन हकदार है।

उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।”

8. यह मुद्दा कि क्या याचिकाकर्ता अपनी नियमितीकरण तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में बिताई गई अवधि के किसी भी लाभ के हकदार हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब पूरी तरह से सुलझा दिया गया है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2018 (2) पीएलजेआर 284 एससी) के मामले में पहले ही यह निर्णय दे दिया है कि नियमितीकरण के बाद, पेंशन संबंधी लाभों के निर्धारण के उद्देश्य से सेवा की संपूर्ण अवधि की गणना की जाएगी।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में, 2 सितंबर, 2019 को सिविल अपील संख्या 6798/2019 और अन्य संबंधित अपीलों में उसी सिद्धांत को दोहराया है जो नेतराम साहू (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 36 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“3090 सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) के मद्देनजर, हम मानते हैं कि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए उपरोक्त नियम के तहत अर्हक सेवा माना जाएगा। पेंशन का बकाया केवल आदेश की तारीख से ठीक पहले के तीन वर्षों तक ही सीमित रहेगा। अनुमेय लाभों का भुगतान तदनुसार तीन माह के भीतर कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों स्वीकार की जाती हैं और राज्य द्वारा दायर अपीलों खारिज की जाती हैं।”

11. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम नराता सिंह एवं अन्य (2010) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि पेंशन प्रदान करने हेतु अर्हक सेवा की गणना करते समय, कार्य-प्रभारित सेवा की अवधि को भी गिना जाना चाहिए।

12. अतः, याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत निर्णयों से यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त विवाद को पहले ही इस निर्णय के साथ समाप्त कर दिया है कि सेवा के नियमितीकरण के पश्चात्, कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा।

13. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 3348/2015, सचिव, लघु सिंचाई विभाग और आरईएस बनाम नरेंद्र कुमार त्रिपाठी के मामले में, दिनांक 07.04.2015 को दिए गए अपने निर्णय में, तदर्थ सेवाओं के सभी



लाभों को उनकी वरिष्ठता और अन्य परिणामी लाभों की गणना के प्रयोजन हेतु स्वीकार कर लिया है।

14. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ 2.9.2003 को ही नियमित कर दी गई थीं, और वे अपनी नियमितीकरण की तारीख, यानी 2.9.2003 से, एक नियमित कर्मचारी के रूप में वेतन प्राप्त कर रहे थे; तथा अपने नियमितीकरण से पूर्व, वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अनुमेय भुगतान प्राप्त कर रहे थे।

15. याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि उन्हें नियमित कर्मचारी के तौर पर उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से बकाया राशि का भुगतान किया जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता; क्योंकि उन्हें पहले ही दैनिक वेतनभोगी के तौर पर भुगतान किया जा चुका है, और अब उन्हें नियमित कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें नियमित वेतनमान मिल रहे हैं, इसलिए, याचिकाकर्ताओं की दैनिक वेतनभोगी के तौर पर की गई सेवा को केवल पेंशन के लाभ के लिए ही 'योग्य सेवा' माना जा सकता है, क्योंकि नियमित होने से पहले वे कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे थे।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और साथ ही पिछले पैराग्राफों में दिए गए निर्णयों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस सुविचारित राय पर पहुँचा हूँ कि याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं को नियमित किए जाने से पहले, दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी पेंशन संबंधी लाभ पाने के हकदार हैं; साथ ही वे दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता पाने के भी हकदार हैं; हालाँकि, वे दैनिक वेतनभोगी पदों पर अपनी नियुक्ति की तारीख से बकाया राशि पाने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उस अवधि का वेतन पहले ही दिया जा चुका है।

17. इन परिस्थितियों में, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी, प्रेम सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णयों के आलोक में, नियमितीकरण से पूर्व दैनिक वेतनभोगी के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करें; और साथ ही, वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु दैनिक वेतनभोगी के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई सेवाओं की गणना भी करें। प्रत्यर्थियों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर, पेंशन के बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान सुनिश्चित करें।

4. चूंकि रिट न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2020 को रिट ए संख्या 17061/2010 (राम बहोर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश का पालन नहीं किया गया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1757/2021 दायर की, जिसमें नोटिस जारी किए गए। इसके बाद, 22.06.2021 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें 02.12.2000 के सरकारी आदेश के अनुसार एसीपी के लाभ देने से इनकार कर दिया गया; साथ ही, याचिकाकर्ता की सेवाओं को दैनिक आधार पर गिनते हुए 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लाभ भी देने से मना कर दिया गया। यही विषय रिट याचिकाकर्ता की ओर से रिट ए संख्या 11138/2021 (राम बहोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में चुनौती का आधार था, जिसे दिनांक 21.10.2021 को खारिज कर दिया गया था; जिसका आदेश नीचे उद्धृत है:

“1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की प्रार्थना की है:-

“i. प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 26.06.2021 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए—जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-1 में संलग्न है—और यह आदेश उस सीमा तक रद्द किया जाए जहाँ तक यह एसीपी के लाभों तथा दिनांक 02.12.2000 के सरकारी आदेश के अनुसार



मिलने वाले लाभों से संबंधित है; साथ ही, याचिकाकर्ता की दैनिक वेतन के आधार पर की गई सेवा-अवधि की गणना करते हुए, उसे 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लाभ भी प्रदान किए जाएँ, इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 02.12.2000 के सरकारी आदेश के अनुरूप याचिकाकर्ता की पेंशन को संशोधित करें; तथा दिनांक 04.05.2010 और 22.12.2011 की एसीपी योजना के अनुसार, 14 वर्ष, 24 वर्ष और 26 वर्ष की सेवा-अवधि पूरी होने पर याचिकाकर्ता को एसीपी के लाभ प्रदान करें, और साथ ही उसे 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लाभ भी प्रदान करें।”

3. याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन के आधार पर चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था, और वर्ष 1995 में उसे सेवामुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 22522/1995 दायर की, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 29.04.1999 के निर्णय द्वारा स्वीकार कर लिया; इस निर्णय में प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करें, क्योंकि वह पिछले दस वर्षों से लगातार कार्य कर रहा था। इस न्यायालय के दिनांक 29.04.1999 के निर्णय को प्रत्यर्थियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका संख्या 336/2000 में चुनौती दी गई थी, जिसे प्रत्यर्थियों ने विशेष अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया। इसके बाद, प्रत्यर्थियों ने 29.04.1999 के निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 217/2000 दायर की, जिसे इस न्यायालय ने 02.04.2003 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। तत्पश्चात्, 02.09.2003 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित कर दिया गया।

4. तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 17061/2010 प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना की गई:-

i. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके वेतन का बकाया भुगतान करें—यह मानते हुए कि उनकी नियुक्ति क्रमशः वर्ष 1981 और 1990 में हुई थी, जिसे तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 6वें वेतन आयोग के आधार पर उनके वेतन को पुनः निर्धारित करने के बाद अनुमोदित किया गया था; और साथ ही, वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2003 तक की अवधि के वेतन का बकाया भी 6वें वेतन आयोग के आधार पर उनके वेतन को पुनः निर्धारित करने के बाद भुगतान करें;

ii. कोई अन्य और अतिरिक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

iii. याचिकाकर्ताओं को व्यय प्रदान करें।”

5. उपर्युक्त रिट याचिका का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2020 के निर्णय के माध्यम से किया गया था, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया कि वे प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2019 (10) एससीसी 516 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, याचिकाकर्ताओं द्वारा नियमितीकरण से पूर्व दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करें; और साथ ही, वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवाओं की गणना भी करें।

6. इस न्यायालय के दिनांक 09.12.2020 के निर्णय के अनुसरण में, प्रत्यर्थियों ने दिनांक 26.06.2021 को एक आदेश पारित किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा का लाभ प्रदान किया गया और उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की पेंशन के बकाया को दिनांक 09.12.2017 से स्वीकृत किया गया।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त अनुतोष की प्रार्थना की है।

8. उपर्युक्त आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता 02.12.2000 के सरकारी आदेश के लाभ के साथ-साथ 04.05.2010 और 22.12.2011 की एसीपी योजना के तहत एसीपी लाभों का, और साथ ही 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन निर्धारण का भी हकदार है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तदनुसार, उन्होंने यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि वे 02.12.2000 के सरकारी आदेश और 04.05.2010 तथा 22.12.2011 की एसीपी योजना के तहत एसीपी लाभों का लाभ दे और साथ ही 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए, पेंशन के बकाया की गणना करें।

9. उनका निवेदन है कि आक्षेपित आदेश इस न्यायालय के रिट याचिका संख्या 17061/2010 में दिए गए निर्णय के विपरीत है, क्योंकि इस न्यायालय का आशय याचिकाकर्ता को उपर्युक्त लाभ प्रदान करना था।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 17061/2010 में भी यही अनुतोष की मांगी थी; जिसमें इस न्यायालय ने उक्त राहत देने से इनकार कर दिया था और केवल यह निर्देश दिया था कि प्रेम सिंह (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, नियमितीकरण से पूर्व दैनिक वेतनभोगी के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा की गई सेवा को शामिल किया जाए और पेंशन का बकाया भुगतान किया जाए। अतः, वह तर्क करते हैं कि उसी वाद-कारण के लिए, दूसरी रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

11. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि प्रेम सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह कहता है कि नियमितीकरण की तारीख से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा की गणना करते समय गिना जाना चाहिए, और पेंशन के बकाया को तीन वर्षों तक सीमित रखा गया है। उनका कहना है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस न्यायालय के दिनांक 09.12.2020 के निर्णय के अनुपालन में, जिसके विरुद्ध यह आदेश दिया गया है, पेंशन की गणना करने के बाद उन्हें पेंशन का बकाया स्वीकृत किया है, और पेंशन की गणना करते समय, नियमितीकरण से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को भी इसमें शामिल किया है; तथा निर्णय की तारीख से तीन वर्ष पहले तक के तीन वर्षों की पेंशन का बकाया स्वीकृत किया है। तदनुसार, वह निवेदन करते हैं कि यह रिट याचिका गलत धारणा पर आधारित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

12. मैंने पक्षों के विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

13. याचिकाकर्ता को वर्ष 1981 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, और दिनांक 02.09.2003 के आदेश द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया। इसके पश्चात्, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 17061/2010 दायर की, और उक्त रिट याचिका में मांगे गए अनुतोष ऊपर उद्धृत हैं। इस न्यायालय ने दिनांक 09.12.2020 के अपने निर्णय द्वारा, उपर्युक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए, प्रत्यर्थियों को यह निर्देश दिया कि वे प्रेम सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, पेंशन की गणना करते समय याचिकाकर्ता द्वारा नियमितीकरण से पूर्व दैनिक वेतनभोगी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को भी शामिल करें; और इसके अतिरिक्त, पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। उक्त निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को भी वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा।

14. इस बिंदु पर, 09.12.2020 के निर्णय के पैराग्राफ 14 से 16 पर एक नज़र डालना प्रासंगिक है, जिसमें इस न्यायालय ने यह माना था कि याचिकाकर्ता अपनी दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति की तारीख से वेतन के बकाया के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 से 16 नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

“14. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ 2.9.2003 को ही नियमित कर दी गई थीं, और उन्हें अपनी नियमितीकरण की तिथि, यानी 2.9.2003 से ही एक नियमित कर्मचारी के समान वेतन मिल रहा था; जबकि उनके नियमितीकरण से पूर्व, उन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अनुमेय दर पर भुगतान किया जा रहा था।



15. याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि उन्हें नियमित कर्मचारी के तौर पर उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से बकाया राशि का भुगतान किया जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता; क्योंकि उन्हें पहले ही दैनिक वेतनभोगी के तौर पर भुगतान किया जा चुका है, और अब उन्हें नियमित कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें नियमित वेतनमान मिल रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की दैनिक वेतनभोगी के तौर पर की गई सेवा को केवल पेंशन के लाभ के लिए ही अर्हक सेवा माना जा सकता है, क्योंकि नियमित होने से पहले वे कार्य प्रभारित कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और साथ ही पिछले पैराग्राफों में दिए गए निर्णयों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस सुविचारित राय पर पहुँचा हूँ कि याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं को नियमित किए जाने से पहले, दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी पेंशन संबंधी लाभ पाने के हकदार हैं; साथ ही वे दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता पाने के भी हकदार हैं; हालाँकि, वे दैनिक वेतनभोगी पदों पर अपनी नियुक्ति की तारीख से बकाया राशि पाने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उस अवाध का वेतन पहले ही दिया जा चुका है।”

15. इस न्यायालय का दिनांक 09.12.2020 का निर्णय अंतिम हो गया है।

16. चूँकि, प्रस्तुत रिट याचिका में मांगे गए अनुतोष याचिकाकर्ता को पहले ही अस्वीकृत की जा चुकी है, अतः न्यायालय की राय में, उसी वाद-कारण के आधार पर प्रस्तुत यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वर्तमान रिट याचिका में मांगे गए अनुतोष पिछली रिट याचिका में नहीं मांगी गई थी, और इसलिए वर्तमान रिट याचिका विचारणीय है, गलत है; इसका कारण यह है कि वर्तमान रिट याचिका में मांगे गए अनुतोष याचिकाकर्ता द्वारा पिछली रिट याचिका में आसानी से मांगी जा सकती थी। अतः, रचनात्मक पूर्वन्याय के सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

18. अतः, ऊपर दिए गए कारणों से, इस रिट याचिका में कोई दम नहीं है और तदनुसार, इसे बिना किसी व्यय आदेश के खारिज किया जाता है।”

5. इससे व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ता ने विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 970/2021 (राम बहोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) दायर की, जिसे दिनांक 05.03.2024 को स्वीकार कर लिया गया; उक्त आदेश नीचे उद्धृत है:

“संदर्भ:- सिविल दिविध विलंब क्षमा आवेदन संख्या शून्य/2021

1. यह आवेदन विशेष अपील दायर करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए दाखिल किया गया है।
2. हमने विलंब क्षमा आवेदन के समर्थन में दायर शपथ-पत्र का अवलोकन कर लिया है।
3. विशेष अपील दायर करने में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है।
4. बताया गया कारण पर्याप्त है।
5. विशेष अपील दायर करने में विलंब क्षमा किया जाता है, और विलंब क्षमा आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
6. विशेष अपील को समय-सीमा के भीतर ही दायर किया गया माना जाएगा।
7. कार्यालय को इस विशेष अपील को नियमित क्रमांक आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है।

द्वितीय अपील पर आदेश

1. यह अपील रिट याचिका संख्या 11138/2021 में दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के उस दावे को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें उसने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण से पूर्व, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को शामिल किए जाने की मांग की थी।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. माननीय एकल न्यायाधीश ने यह राय व्यक्त की है कि, चूंकि इसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर पिछली रिट याचिका संख्या 17061/2010 में यह राहत प्रदान नहीं की गई थी, अतः इस संबंध में किया गया बाद का दावा रचनात्मक पूर्वन्याय के सिद्धांतों के तहत वर्जित होगा।
3. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति सर्वप्रथम 1981 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी, उसे सेवा जारी रखने की अनुमति तो मिली, पर नियमितीकरण के दावे विचार नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता ने रिट याचिका संख्या 22522/1995 दायर करके इस न्यायालय का रुख किया, जिसे 29.04.1999 को स्वीकार कर लिया गया और प्रत्यर्थियों को यह निर्देश जारी किया गया कि वे तीन माह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर विचार करें।
4. रिट न्यायालय द्वारा 29.4.1999 को पारित आदेश को पहले उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन राज्य की विशेष अनुमति याचिका को इस आधार पर वापस ले लिया गया कि उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर करने का उपाय उपलब्ध है। विलंबित विशेष अपील संख्या 217/2000 दायर की गई थी, जिसे निम्नलिखित बातों को संज्ञान में लेने के पश्चात् खारिज कर दिया गया:-
“इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा यह मत है कि रिट याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से राज्य सरकार में माली के रूप में कार्यरत हैं; इसलिए, हम इस विशेष अपील में चुनौती दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं हैं।”
5. इसके बाद, अपीलकर्ता की सेवाओं को 2 सितंबर, 2003 का नियमित कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने रिट याचिका संख्या 17061/2010 दायर की, जिसमें यह कहा गया कि वह वर्ष 1981 में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वेतन पाने का हकदार है। इस रिट याचिका का निस्तारण दिनांक 9.12.2020 को निम्नलिखित आदेशों के माध्यम से कर दिया गया है:-
“16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और साथ ही पिछले पैराग्राफों में दिए गए निर्णयों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस सुविचारित राय पर पहुंचा हूँ कि याचिकाकर्ता, नियमित होने से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई अपनी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी पेंशन संबंधी लाभ पाने के हकदार हैं; साथ ही वे दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता पाने के भी हकदार हैं। लेकिन, वे दैनिक वेतनभोगी पदों पर अपनी नियुक्ति की तारीख से बकाया राशि पाने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि उस अवधि का वेतन उन्हें पहले ही दिया जा चुका है।
17. इन परिस्थितियों में, रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी, प्रेम सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णयों के आलोक में, नियमितीकरण से पूर्व दैनिक वेतनभोगी के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करें; और साथ ही, वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु दैनिक वेतनभोगी के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की गणना भी करें। प्रत्यर्थियों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर, यदि कोई हो, तो पेंशन के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करें।”
6. माननीय एकल न्यायाधीश ने मामले का निस्तारण करते हुए, अपीलकर्ता द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के अपीलकर्ता के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। यह केवल वेतन का बकाया था, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी पिछली सेवाओं को अर्हक सेवाओं में शामिल करने के लिए की गई प्रार्थना को, 30प्र0 सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1960 के नियम 3(8) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार कर लिया गया था। एक और निर्देश जारी किया गया कि अपीलकर्ता के मामले पर, पेंशन आदि के बकाया भुगतान के लिए, तीन महीने के भीतर विचार किया जाए। इसी निर्देश के अनुपालन में, प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका में चुनौती दिए गए दिनांक 26.6.2021 के आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया है। जिला विकास अधिकारी, बस्ती ने अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में उसकी पिछली सेवाओं की गणना केवल 5 वर्ष, 6 माह और 19 दिन की अवधि के लिए ही की जानी चाहिए।

7. जिला विकास अधिकारी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यद्यपि अपीलकर्ता ने 1981 से कार्य किया था, तथापि उसकी सेवा पुस्तिका आदि का रखरखाव 1984 से किया गया था; अतः, पेंशन निर्धारण हेतु अर्हक सेवा के रूप में 1984 से आगे की अवधि को ही माना जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है कि पिछली सेवा, जो मात्र 5 वर्ष 6 माह और 19 दिन की थी, को अर्हक सेवा के रूप में क्यों गिना जा रहा है।
 8. जिला विकास अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पिछली रिट में, चूंकि रिट न्यायालय द्वारा ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया गया था, अतः बाद वाली रिट रचनात्मक पूर्वन्याय के सिद्धांतों के तहत वर्जित होगी।
 9. इस मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा दायर पिछली रिट याचिका में, पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, अपीलकर्ता की सेवाओं को—जो उसने नियमित होने से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी थीं—विचार में लेने का निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका था। एक बार जब ऐसा निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका था, तो हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज करने में उचित नहीं थे कि ऐसी अनुतोष पिछली रिट में अस्वीकार कर दी गई थी, या यह कि दावा रचनात्मक पूर्वन्याय के सिद्धांतों द्वारा बाधित था।
 10. चूंकि, अपीलकर्ता का दावा—जहाँ तक पेंशन के लिए पिछली सेवाओं की गिनती से संबंधित अनुतोष का प्रश्न था—पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, अतः माननीय एकल न्यायाधीश ने पिछली रिट याचिका को खारिज मानाने में त्रुटि की है; जबकि वास्तव में, उक्त याचिका स्वीकार कर ली गई थी।
 11. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए रचनात्मक पूर्वन्याय के सिद्धांतों की कोई प्रयोज्यता नहीं थी। बस्ती के जिला विकास अधिकारी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में किए गए पिछले कार्य को, अपीलकर्ता को देय पेंशन के नियामेतीकरण हेतु अर्हक सेवा के रूप में क्यों नहीं गिना जाएगा।
 12. इस मामले पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात्, हमारी यह राय है कि यह अपील सफल होने योग्य है, क्योंकि अपीलकर्ता के दावे की जाँच सही विधिक एवं तथ्यात्मक मापदंडों पर नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 21.10.2021 का निर्णय रद्द किया जाता है। बस्ती के जिला विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 26.6.2021 को पारित आदेश भी रद्द किया जाता है। यह मामला संबंधित अधिकारी को वापस भेजा जाता है, ताकि वे अपीलकर्ता के उस दावे का पुनः निर्धारण कर सकें, जिसमें उसने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दी गई अपनी सेवाओं को, उसकी पिछली सेवाओं को अर्हक सेवा में गिनने के उद्देश्य से शामिल करने की मांग की है। वे लाभ, जो अपीलकर्ता को पहले ही पेंशन आदि के रूप में प्रदान किए जा चुके हैं, उन्हें आगे भी अपीलकर्ता को प्रदान किया जाता रहेगा और वे संबंधित अधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले नए आदेश के अधीन रहेंगे। उपर्युक्त निर्देश के संदर्भ में, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर आवश्यक विचार किया जाएगा। प्राधिकरण के समक्ष सीमित मुद्दा पेंशन की राशि का निर्धारण करना है, जो अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि पर निर्भर करेगा।”
6. अंतर्-न्यायालय अपील में आदेश पारित होने के बाद, अब दिनांक 18.07.2024 को जिला विकास अधिकारी, बस्ती द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।
 7. इसी को चुनौती देते हुए, यह रिट याचिका दायर की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 और 4 की ओर से एक प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है, जिस पर खंड विकास अधिकारी, परशुरामपुर, जिला बस्ती ने 28.08.2024 को शपथ ली है; इसके जवाब में एक प्रत्युत्तर शपथपत्र दायर किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. रिट याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील दी है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह कानून की नज़र में सही नहीं ठहराया जा सकता इसका सीधा सा कारण यह है कि यह आदेश अवमाननापूर्ण है; खासकर तब, जब रिट ए संख्या 17061/2010 में पारित 09.12.2020 के आदेश में रिट याचिकाकर्ता के इस पक्ष का समर्थन किया गया था कि उसे उसकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही पेंशन लाभों के भुगतान पर विचार किया जाए, इसके बाद, 26.06.2021 को एक आदेश पारित करके रिट याचिकाकर्ता के इस दावे को खारिज कर दिया गया, इसके खिलाफ रिट याचिकाकर्ता ने रिट ए संख्या 1113/2021 दायर की, जिसे 21.10.2021 को खारिज कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ दायर विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 970/2021 को स्वीकार कर लिया गया। ऐसे में, प्रत्यर्थी किसी भी तरह से उस फैसले की अनदेखी नहीं कर सकते और न ही अपनी मनमर्जी से उस फैसले को टालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके तहत वे रिट याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण से पहले के पेंशन लाभों से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। निवेदन यह है कि रिट ए संख्या 17061/2010 में 09.12.2010 को पारित आदेश, और विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 970/2021 में पारित आदेश अब अंतिम रूप ले चुके हैं, जो रिट याचिकाकर्ता पर परस्पर रूप से बाध्यकारी हैं।
9. श्री अनिल श्रीवास्तव, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, अब अपनी अनुतोष को पेंशन लाभों के भुगतान के लिए उनके दावे पर 1984 से विचार करने तक सीमित रखते हैं, जिस तारीख से सेवा अभिलेख पर उपलब्ध हैं।
10. श्री एस.के. पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, जो राज्य की ओर से पेश हुए हैं, उन्होंने यद्यपि विचाराधीन आदेश का बचाव किया है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि रिट ए संख्या 17061/2010 में 09.12.2020 को पारित आदेश, तथा विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 970/2021 में 05.03.2024 को पारित आदेश, अब अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं। उनका निवेदन है कि इस मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
11. मैंने उनकी ओर से प्रस्तुत दलीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है। तथ्य विवादित नहीं हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि वर्ष 1981 में उसे दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने नियमितीकरण की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसका निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया कि रिट याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर विचार किया जाए; इसके विरुद्ध सीधे एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे न्यायालय की विशेष अपीलीय पीठ से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए खारिज कर दिया गया। इसके बाद, विलंब के आधार पर अंतर्-न्यायालय अपील को भी खारिज कर दिया गया, और 02.09.2023 को रिट याचिकाकर्ता को नियमित कर दिया गया। चूंकि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे उसकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख—यानी 1981—से वेतन और वेतन निर्धारण के लाभ नहीं दिए गए थे, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रिट ए संख्या 17061/2010 राम बहोर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दायर की, इस याचिका का निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 सितंबर, 2019 को सिविल अपील संख्या 6798/2019 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिए गए निर्णय के आलोक में करते हुए, प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि वे रिट याचिकाकर्ता को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करें; इन लाभों की गणना करते समय, नियमितीकरण से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में बिताई गई अवधि को भी शामिल किया जाए। रिट न्यायालय के आदेश के पालन के लिए एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी, और उसके बाद 26.06.2021 को एक आदेश पारित किया गया। इस आदेश को रिट ए संख्या 11138/2001 में चुनौती दी गई थी, जिसे 21.10.2021 को खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध, रिट याचिकाकर्ता द्वारा एक अंतर्-न्यायालय अपील, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 970/2021 दायर की गई, जिसे 05.03.2024 को स्वीकार कर लिया गया। उपर्युक्त घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि पेंशन के भुगतान हेतु दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा की गणना के संबंध में, रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में एक सकारात्मक दिशा प्रतीत होती है। जिला विकास अधिकारी ने दिनांक 18.07.2024 के अपने आदेश में मामले के उक्त पहलू पर विचार नहीं किया है, हालांकि उन्होंने इस आधार पर रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है कि रिट याचिकाकर्ता इस संबंध में मौद्रिक लाभों का हकदार नहीं है। चूंकि, रिट याचिकाकर्ता को कोई मौद्रिक लाभ प्रदान नहीं किया जाना है—विशेष रूप से तब, जब रिट ए संख्या 10761/2010 में दिनांक 09.12.2020 को पारित आदेश में, दैनिक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वेतन पर नियुक्ति की तिथि से बकाया राशि का भुगतान न करने के संबंध में एक निर्देश निहित है। अतः, रिट याचिकाकर्ता को दैनिक वेतनभोगी के रूप में बिताई गई अवधि की गणना के लाभ केवल वर्ष 1984 से ही दिए जाएँगे—जब उसका सेवा अभिलेख तैयार किया गया था—भले ही रिट याचिकाकर्ता ने पेंशन भुगतान के लिए वर्ष 1981 से लाभों का दावा किया था। चूँकि उपर्युक्त निर्देश को किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है, अतः ज़िला विकास अधिकारी को मामले के उस पहलू पर विचार करना अनिवार्य था, जो मामले की मूल जड़ से जुड़ा है। चूँकि उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, अतः आक्षेपित आदेश को वैध नहीं माना जा सकता।

12. तदनुसार, जिला विकास अधिकारी, बस्ती, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पारित आदेश रद्द किया जाता है।
13. यह मामला संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है, ताकि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित कर सकें।
14. रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"